संख्या 331/15-7-16[3]/2001

प्रेषक,

श्री अखिलेश चन्द्र गुप्त,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2,सामुदायिक केन्द्र,
प्रीति विहार,
नई दिल्ली ।

शिक्षा [7] अनुभाग                    लखनऊ : दिनांक 2 मई,2001

विषयः- एस०के०एस०पब्लिक स्कूल, कासगंज, एटा को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस०के०एस० पब्लिक स्कूल, कासगंज, एटा को सी०बी०एस०ई०,नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

[1] विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

[2] विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

[3] विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

[4] संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से अथवा बेसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन,नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ग से उक्त केन्द्रीय

परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

§5§ संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

§6§ कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

§7§ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

§8§ विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

§9§ उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

§ अखिलेश चन्द्र गुप्त §
अनु सचिव।

पृ०सं० 331§1§/15-7-16§3§/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
5- प्रबन्धक, एल०के०एम०पब्लिक स्कूल, जलेसर, एटा ।

आज्ञा से,

Scanned with CamScanner

संख्या-मिस 919/15-7-2004-16131/2001

प्रेषक,

शिव प्रकाश गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग                                   लखनऊ: दिनांक: 15 मई, 2004

विषय:- एस०जी०एस०एम० पब्लिक स्कूल बरहज, बस्ती को सी०बी०एस०ई० मान्यता के संबंध हेतु दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र में सोसाइटी के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (मा०) के पत्रांक:माध्य०/सी०बी०एस०ई०/8437/2003-04 दिनांक 14-11-2003 तथा शासन के पत्र संख्या-331/15-7-16131/2001 दिनांक 3 मई, 2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में उक्त विद्यालय बरहज पब्लिक सोसाइटी बरहज, बस्ती द्वारा संचालित किया जा रहा था। उक्त सोसाइटी द्वारा उक्त विद्यालय से संबंध समाप्त कर लेने के उपरान्त विद्यालय का संचालन एक अन्य नव गठित सोसाइटी बरहज पब्लिक स्कूल एजुकेशन सोसाइटी बरहज एस०जी०एस०एम० पब्लिक स्कूल सोसाइटी के माध्यम द्वारा किया जा रहा है। प्रश्नगत विद्यालय का संचालन उपरोक्त नवीन सोसाइटी के माध्यम से किये जाने में राज्य सरकार को आपत्ति नहीं है।

भवदीय,

(शिव प्रकाश गुप्त)
संयुक्त सचिव

पृ०संख्या-मिस 919(1)/15-7-04 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती।
4- निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- प्रबंधक, एस०जी०एस०एम०पब्लिक स्कूल बरहज, बस्ती।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश गुप्त)
संयुक्त सचिव

16

Scanned with CamScanner